



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 07/2014

प्रार्थीगण

ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश पुत्र
स्व. श्री मोतीराम आयु 47 वर्ष
जाति सांसी निवासी चान्देलाव
तहसील बिलाड़ा, हाल मुकाम :-
प्लॉट नम्बर 13, गली न. 5,
वर्कशॉप डिपो के सामने, सांसी
कॉलोनी भदवासिया, जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. किशनाराम पुत्र श्री मोतीराम
2. भंवरलाल पुत्र श्री मोतीराम
3. खीवराज पुत्र श्री मोतीराम
4. शेषाराम पुत्र श्री मोतीराम सभी
जातियान सांसी निवासीगण
ग्राम चान्देलाव, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर, हॉल वर्कशॉप
डिपो के सामने, सांसी कॉलोनी
भदवासिया, जोधपुर
5. बिदामी पुत्री श्री मोतीराम जाति
सांसी निवासी ग्राम चान्देलाव
तहसील बिलाड़ा, हॉल पत्नी स्व.
श्री खेताराम सांसी नयागांव
पाली
6. तीजादेवी पुत्री स्व. श्री मोतीराम
जाति सांसी निवासी ग्राम
चान्देलाव तहसील बिलाड़ा, हाल
पत्नी स्व. श्री हुकमाराम सांसी
वर्कशॉप डिपो के सामने गली न.
5 सांसी कॉलोनी भदवासिया,
जोधपुर
7. केलीदेवी उर्फ केलकी पुत्री श्री
मोतीराम जाति सांसी निवासी
ग्राम चान्देलाव, तहसील बिलाड़ा
हॉल पत्नी श्री हरिराम उर्फ
हरूड़ा सांसी नयागांव पाली
8. सुगना पुत्री श्री मोतीराम जाति
सांसी निवासी ग्राम चान्देलाव,
तहसील बिलाड़ा, हॉल पत्नी श्री
हीराराम सांसी पॉचबती, नेहरू
कॉलानी (बग्गीखाना) जोधपुर
9. फुलीदेवी पत्नी स्व. श्री रूगनाथ
10. रमेश पुत्र स्व. श्री रूगनाथ
11. रवि पुत्र स्व. श्री हीरालाल
12. गोरधन पुत्र स्व. श्री हीरालाल
13. कमलादेवी पत्नी श्री भंवरलाल

सभी जातियान सांसी,
निवासीगण ग्राम चान्देलाव
तहसील बिलाड़ा, हॉल वर्कशॉप
डिपों के सामने सांसी कॉलोनी,
भदवासिया, जोधपुर राज.

14. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 14.07.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा केम्प कोर्ट में पेश हुयी। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.08.2016 की पालना आदिनांक नही की गयी है। जो आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. का स्पष्टतः उल्लघन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार व नम्बर से कम होकर मूल राजस्व वाद संख्या /2014 ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश बनाम किशनाराम वगैराह के साथ संलग्न हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा